

देवघर समाहरणालय

(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना संख्या 58/भू अ०

दिनांक : 15/01/19

चूँकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि ग्राम-झुनाकी, थाना-सारठ, थाना सं०-87, अंचल:-सारठ, जिला-देवघर में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा परियोजना ढिवा से करीं पथ उन्नयन परियोजना हेतु अपेक्षित है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्ता अथवा नियम 2(1)(ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम-झुनाकी, थाना-सारठ, थाना सं०-87, अंचल:-सारठ, जिला-देवघर में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश 0.27 एकड़ मानक माप का भूखंड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है -

क. स.	खात सं.	सर्वे भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	9	492	रैयती	धानी-3	0.02	मुस्ताक मियां वो नईम मियां पे० स्व० रहीम मियां वो झलकी बीबी पति स्व० जलील मियां वो झुनकू बीबी पति स्व० इद्रीश मियां वो हमीम मियां वो वसीर मियां वो नासीर मियां पे० स्व० अशर्फी मियां वो उस्मान मियां वो रजवन मियां वो उताउल अंसारी पे० स्व० रमजान मियां वो अजाद मियां वो नौसाद मियां वो वसीर मियां पे० स्व० हफीजुल रहमान वो कुर्बान मियां पे० स्व० खेलु मियां अंश समान सा० पडुआ।	नदी	सिमरा तरी, थाना संख्या -88	सड़क	अर्जित रकवा का अंश
2	16	646	रैयती	बाड़ी-2	0.03	महादेव महतो वो शारदा देव्या पे० स्व० फुलेश्वर महतो अंश समान सा० देह।				
3	18	647	रैयती	बाड़ी-2	0.01	भुभवन महतो वो सहदेव महतो वो भरथ महतो पे० स्व० चौवा महतो वो नीला देव्या पति स्व० रूशन महतो वो मानो देव्या पति स्व० रमपति महतो वो जन्मजय महतो पे० स्व० युगल महतो अंश समान सा० देह।				
4	22	487	रैयती	धानी-3	0.05	हरिहर मंडल वो वासुदेव मंडल पे० स्व० जगदीश मंडल वो जामुन मंडल वो द्वारिका मंडल पे० स्व० बिन्देश्वरी मंडल वो शंकर मंडल वो शिवसागर मंडल वो शिवनारायण पे० स्व० गोविन्द मंडल वो नीलकंठ मंडल वो विष्णु मंडल वो छनसागर मंडल वो परमेश्वर मंडल पे० स्व० भुवनेश्वर मंडल अंश समान सा० देह।				
5	22	488	रैयती	धानी-3	0.01	तीरनो देव्या पति स्व० पारो मंडल वो हीरालाल मंडल पे० स्व० बाडू मंडल वो गोपाल मंडल वो बहादुर मंडल वो बलराम मंडल वो सुग्रीव मंडल पे० स्व० जमीर मंडल वो साधु मंडल पे० स्व०				

Yd

10-01-2019

३

						कोल्हा मंडल वो आनंद मंडल पे० स्व० हरखु मंडल अंश समान सा० पंडुआ।				
6	22	489	रैयती	धानी-3	0.02	बासकी मंडल पे० स्व० स्व० हेमलाल मंडल वो कमलेश्वर मंडल वो नारायण मंडल वो देघरी मंडल पे० स्व० बुटन मंडल वो बसन्ती देव्या पति राम मंडल।				
7	22	490	रैयती	धानी-3	0.02	देवकी देवी पति स्व० रूशन मंडल वो उमाकांत मंडल पे० स्व० आशो मंडल वो नागेश्वर मंडल वो पाणेश्वर मंडल पे० स्व० बुधन मंडल वो फतन मंडल पे० स्व० चतुर मंडल वो पुरण मंडल पे० स्व० महादेव मंडल अंश समान सा० पंडुवा।				
8	22	655	रैयती	बाड़ी-2	0.02	देवकी देवी पति स्व० रूशन मंडल वो उमाकांत मंडल पे० स्व० आशो मंडल वो नागेश्वर मंडल वो पाणेश्वर मंडल पे० स्व० बुधन मंडल वो फतन मंडल पे० स्व० चतुर मंडल वो पुरण मंडल पे० स्व० महादेव मंडल वो हरिहर मंडल वो वासुदेव मंडल पे० स्व० जगदीश मंडल वो जामुन मंडल वो द्वारिका मंडल पे० स्व० बिन्देश्वरी मंडल वो शंकर मंडल वो शिवसागर मंडल वो शिवनारायण पे० स्व० गोविन्द मंडल वो नीकंठ मंडल वो विष्णु मंडल वो बानसागर मंडल वो परमेश्वर मंडल पे० स्व० भुवनेश्वर मंडल वो तीरनो देव्या पति स्व० पारो मंडल वो हीरालाल मंडल पे० स्व० बाडू मंडल वो गोपाल मंडल वो बहादुर मंडल वो बलराम मंडल वो सुग्रीव मंडल पे० स्व० जमीर मंडल वो साधु मंडल पे० स्व० कोरहा मंडल वो आनंद मंडल पे० स्व० हरखु मंडल वो बासकी मंडल पे० हेमलाल मंडल वो कमलेश्वर मंडल वो नारायण मंडल वो देघरी मंडल पे० स्व० बुटन मंडल वो बसन्ती देव्या पति स्व० राम मंडल अंश समान।				
9	23	486	रैयती	धानी-2	0.03	राजेन्द्र मंडल वो सानु मंडल वो मानु मंडल वो रघुनाथ मंडल पे० स्व० गुही मंडल वो रेशमी देव्या पति स्व० मोती मंडल अंश समान सा० पंडुआ।				
10	23	656	रैयती	बाड़ी-2	0.04	अधनु मंडल पे० स्व० अर्जून मंडल वो केहरी मंडल पे० स्व० पोखन मंडल वो राजेन्द्र मंडल वो सानु मंडल वो मानु मंडल वो रघुनाथ मंडल पे० स्व० गुही मंडल वो रेशमी देव्या पति स्व० मोती मंडल अंश समान सा० पंडुआ।				
11		658	रैयती		0.02	मुस्तवाहा।				
कुल रकवा-					0.27					

यह अधिसूचना भू-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 (अधिनियम संख्या 30/2013), की धारा-11 (1) के उपबंधों के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

Ypl

10-01-2019

4

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्ता-सह-समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यों के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्ट करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर और उनके कर्मचारियों को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नहीं करेगा या ऐसा कोई अंतरण करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के अंतर्गत भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियों हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, देवघर के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर
10/1/19

अपर समाहर्ता
देवघर
16-01-2019

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।
10/1/19

ज्ञापांक 58 / भू अ०, देवघर, दिनांक 15/01/19

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, सारठ को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने की कृपा करें।

जिला भू अर्जन पदाधिकारी
देवघर
10/1/19

अपर समाहर्ता
देवघर
16-01-2019

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।
10/1/19